82

25

34/C

भारतीय किसान यूनियन (पंजीकृत)

दिल्ली प्रदेश

प्रदेश कार्यालय : 912 (नजदीक टेलीफोन एक्सचेंज)

कंझावला, दिल्ली–110081

फोन – निवास : 25953355, मो. : 9212271371

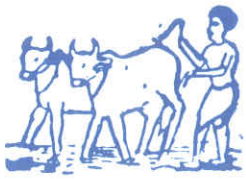

To
Director Planning
DDA Department
~~Master Plan 2021~~ (PPR)
Rohini Deepali Chowk
Sec-3 Rohini, Delhi

क्रमांक 1/B.K.U./2012/341 दिनांक 2-4-2012

दिल्ली के मास्ट प्लान – २०२१ में किसानों की भागीदार एवं सुझाव हेतु प्रस्ताव

किसानों की जो कृषि भूमि का इस्तेमाल दिल्ली विकास के लिए किया जाता है, वह किसान विकास होने के बाद भी विकास से अछुता रहा है। असली भूमि का मालिक मजदूर बन कर रह जाता है। पिछले समय में डीडीए तथा दिल्ली सरकार ने विकास के नाम पर अधिग्रहण किए उसमें लगातार किसानों का दोहन होता रहा है। आज स्थिति यह है कि दिल्ली सरकार तथा डीडीए ने जिस जिस इलाकों में भूमि अधिग्रहण विकास के नाम पर किया वहां के लगभग सारे किसान आज दिहाड़ी मजदूर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कभी भी सरकार या डीडीए ने किसानों के लिए कोई भी योजना प्रभावी तरीके से नहीं बनाई अगर कोई योजना बनी भी तो उसे प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया और इस कारण किसानों तथा उनके आश्रित परिवारों की हालत दयनीय हो गई है। अब सरकार ने 'मास्टर प्लान–२०२१' के तहत दिल्ली के विकास के लिए जनता की भागीदारी करना चाहती है तथा दिल्ली का विकास दिल्ली की जनता की सहुलियतों को देखते हुए करना चाहती है, लेकिन यह विकास तब तक अधुरा है जब तक इस भूमि के असली मालिक किसान का विकास भी दिल्ली के विकास के साथ-साथ होता नहीं है। परन्तु सरकार इस विषय पर कभी भी ध्यान केन्द्रित नहीं करती है और इसी कारण किसान मजदूर बन जाते हैं।

हम दिल्ली के किसानों की तरफ से कुछ सुझाव सरकार के पास भेज रहे हैं। हम आशा करते हैं कि सरकार इन सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेगी और 'मास्टर प्ला–२०२१' में किसानों के हित का पुरा ध्यान रखेगी ताकि किसान भी 'मास्टर प्लान – २०२१' के अनुसार अपने आप को दिल्ली शहर में विकसित महसूस कर सके। हमारी आने वाली पीढ़िया भी दिल्ली शहर के साथ विकसित हो सके लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अब दिल्ली के किसान सरकार से आशा करते हैं कि 'मास्टर प्लान–२०२१' में सरकार आग्र ऐसा नहीं होने देगी। हम सरकार के पास कुछ सुझााव भेज रहे हैं जिसका विवरण इस प्रकार है –

Zone 'X' – Vinod 03/04/2012

AD(MP)/R

Director (Plg.) MPR/TC,
D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2
Dy.No. 9039
Dated 13.4.12

Gen. Sec. Raj Singh Dahiya
BHARTIYA KISHAN UNION
DELHI PARDESH

81

33k

26

१- जिस भी किसान की भुमि का अधिग्रहर 'मास्टर प्लान - २०२१' के तहत किया जाए उस किसान की भुमि पूर्ण रूप से किसान की सहमति से ली जाए। उसे अंग्रेजों द्वारा बनाये गये १८६४ के काले कानून के नाम पर भूमि से बेदखल न किया जाए।

२- जिस भी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण हो उसे सिर्फ कृषि भूमि न मानकार आस-पास के विकसित क्षेत्र तथा इस पर होने वाले विकास को मध्य नजर किसान की सहमति, जिस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाए तथा वहां पर उस उद्देश्य के लिए सरकार ने जो 'सर्किल रेट' निर्धारित किया है उस 'सर्किल रेट' का मुआवजा दिया जाए।

३- जिस किसान का भूमि अधिग्रहण किया जाए उसे मुआवजे के साथ कम से कम २५ प्रतिशत किसित भूमि उपलब्ध करवाई जाए ताकि किसान अपने जीवन स्तार को सुधार सके और किसान अपने भविष्य को उज्जवल कर सके।

४- जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण हो उसके आश्रित परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को सरकार में नौकरी का प्रावधान हो क्योंकि किसान की भूमि का अधिग्रहण होने के बाद वह बेरोजगार हो जाता है और उसके सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह अधिग्रहण के तुरन्त बाद दिया जाना चाहिए क्योंकि किसान एकदम बेरोजगार हो जाता है।

कार्यकारी सम्पर्क
(भारतीय किसान यूनियन)
श्री, (बलदेव डबास)
H.N- 885, बनिया वाड़ा
गाँव पूठ खुर्द दिल्ली =110039
दूरभाष : 9910394876
9711686817

Gen. Sec. Raj Singh Dabas
BHARTIYA KISHAN UNION
DELHI PARDESH

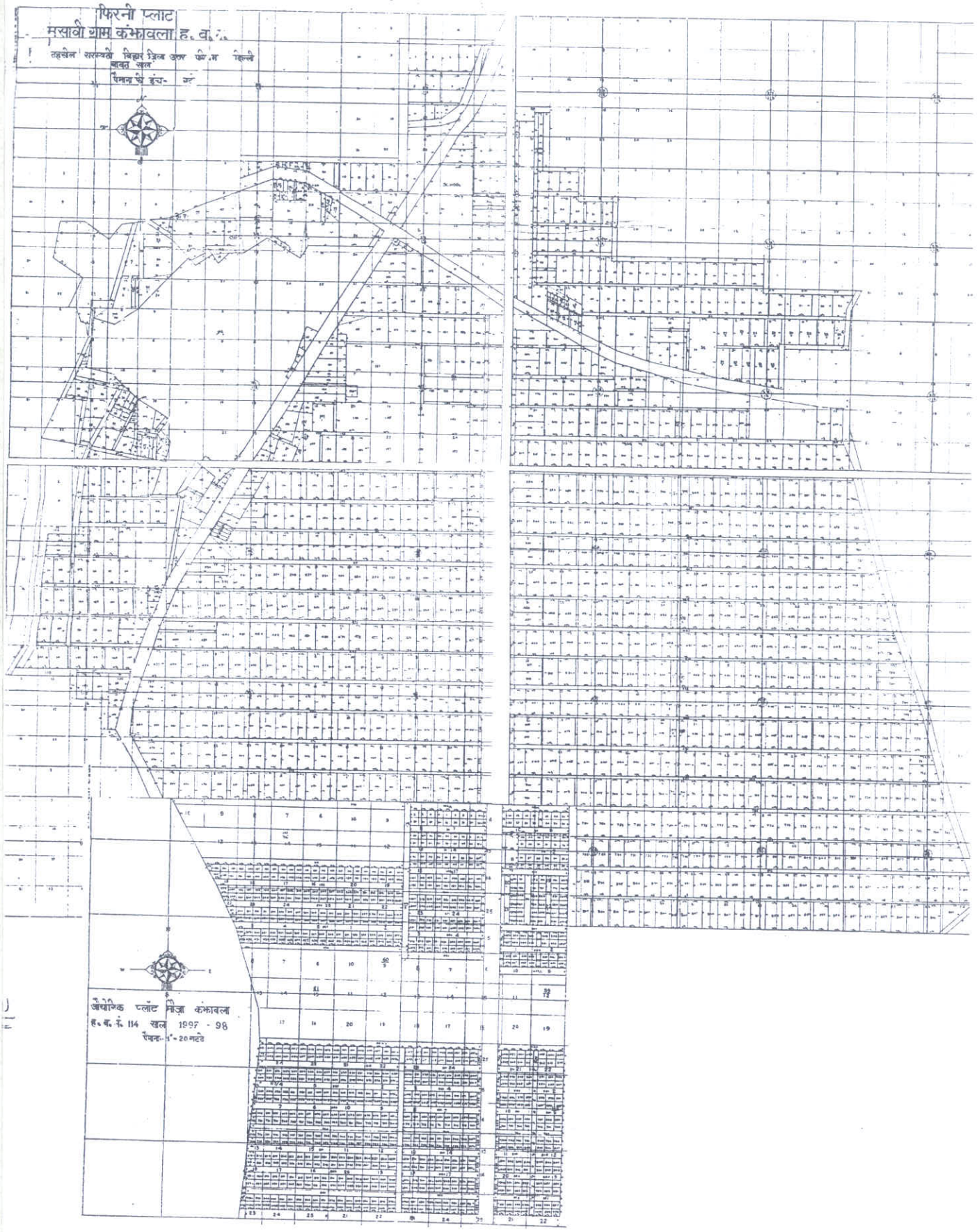

फिरनी प्लाट
मसावी ग्राम कंझावला ह. ब.
तहसील सरस्वती विहार ज़िला उत्तर पश्चिम दिल्ली
बाबत साल
पैमाना फी इंच-
औद्योगिक प्लॉट मौज़ा कंझावला
ह. ब. नं. 114 साल 1997 - 98
पैमाना- 1" = 20 गट्ठे